

बिहार सरकार
परिवहन विभाग

पत्रांक : 2/टैक्सा मुक0-81/2009 परि 4895 /

प्रेषक,

प्रधान सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना ।

सेवा में,

सभी जिला परिवहन पदाधिकारी ।

(पटना/बेगूसराय/मोतिहारी/दरभंगा/बांका/खगड़िया को छोड़कर)

पटना, दिनांक 13/12/2012


विषय : दिनांक 16.07.2002 से 17.04.2006 की अवधि में मिनी बस/मैक्सी के कर भुगतान एवं बकाया कर की स्थिति प्रतिवेदित करने के संबंध में ।

महाशय,

कृपया विभागीय पत्रांक 935 दिनांक 03.03.2010 एवं पत्रांक 3516 दिनांक 29.08.2012 का निदेश करें । उक्त पत्र द्वारा निर्मांकित प्रपत्र में वांछित सूचना अविलम्ब भेजने का अनुरोध किया गया था, जो आपसे अप्राप्त है ।

अतः अनुरोध है कि 205" से नीचे 114" तक व्हील बेस के सभी मिनी बस/मैक्सी के संबंध में अधोलिखित प्रपत्र में प्रतिवेदन अविलम्ब उपलब्ध कराया जाय ।

विश्वासभाजन,


प्रधान सचिव,
12/12/12

परिवहन विभाग, बिहार, पटना ।

प्रपत्र -

1. अप्रैल 2006 तक जिला में निर्बंधित कुल मिनी बस/मैक्सी की संख्या -
2. दिनांक 16.07.2002 से 17.04.2006 की अवधि के लिए दिनांक 16.07.2002 के प्रभाव से बढ़े हुए दर पर कर भुगतान करने वाले मिनी बस/मैक्सी की संख्या -
3. कर वृद्धि के कारण दिनांक 16.07.2002 से 17.04.2006 के बीच कर भुगतान नहीं करने वाले मिनी बस/मैक्सी की संख्या एवं बकाया कर की राशि -
4. दिनांक 16.07.2002 से 17.04.2006 की अवधि के लिए माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में 267/ रू० प्रति सीट प्रति क्वार्टर की दर से औपबंधिक रूप से भुगतान करने वाले मिनी बस/मैक्सी की संख्या -

नोट:- प्रतिवेदन में यह ध्यान रहे कि कंडिका-1 में अंकित संख्या कंडिका-2, 3 एवं 4 में अंकित संख्या के योग के बराबर होगी ।